

**Factual Report in the matter of Kamal Tiwari V/s Union of India  
& Ors. (OA No. 97/2022) as per the directions of Hon'ble NGT,  
Central Bench, Bhopal**

Background

In the case filed by Sh. Kamal Tiwari against Union of India & Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Bench, Bhopal, the applicant Sh. Kamal Tiwari has raised the issue of encroachment on the forest land and violation of environmental rules by continuous discharge of untreated effluent by industries through drains constructed by RIICO in the Industrial Estate Developed in an area which is covered by presently declared Nahargarh Wildlife Sanctuary.

Order

Hon'ble NGT Central Bench in its order dated 25.09.2023 has directed:

*"6. In view of the contention raised by the respondent and the allegation of the applicant we deem just and proper to call a report from a joint committee consisting: -*

- i. Representative from MoEF&CC*
- ii. Representative from the Additional Chief Secretary, Forest and Wildlife, Govt. of Rajasthan.*
- iii. One representative from Principal Chief Conservator of Forest, Govt. of Rajasthan.*
- iv. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan*

*7. We direct the committee to visit the site analysis the violations and take remedial actions. In case of violation by the any person the environmental compensation must be assessed according the rules and parameter laid down by the CPCB.*

*8. Learned counsel appearing for the applicant has submitted that the action of the respondents is for filling the forest area/forest land for expansion purposes. 9. Learned counsel for the RIICO has submitted that the RIICO is only service provider and the construction of nallah is being done in the khasra no. 3. The*

*question is as to whether the service provider has any responsibility to provide the necessary facility for discharge of water or not and if there is any discharge of untreated water then responsibility to maintain it and to take remedial actions.*

*10. The Rajasthan Pollution Control Board has filed the compliance report in which it has been narrated that 2 or 3 industrial units were found discharging waste water outside the unit and necessary notices have been issued. In response to the above contention, learned counsel for the applicant has submitted that there are approximately 300 units operating there and Pollution Control Board has found only 2 or 3 units discharging their untreated water outside the unit and having no treatment facility.*

*11. The committee referred above have to examine all the matters and submit the report and violation of environmental rules. The committee has further to examine as to whether any treatment facility of untreated water are available or not and the persons responsible for not complying the environmental rules. 12. The report of the Joint Committee be filed within three weeks.”*

A Joint Committee has been constituted based on the nominations received from MoEF&CC, Environment Department and RSPCB. Copy of the nomination dated 16.10.2023 from MoEF&CC and Order dated 26.10.2023 of Joint Committee constitution from Department of Environment are enclosed and collectively marked as **Annexure-1**. A meeting was held on 27.10.2023 and 29.10.2023 in the Regional Office, Jaipur (North), RSPCB and representatives of MoEF&CC, Forest Department, Environment and Climate Change Department & RIICO. Subsequently a field visit was organized with the representatives nominated in Joint Committee. Copy of the Office Order regarding field visit is given at **Annexure-2**. Besides, Sh. Kamal Tiwari was also requested to join the meeting and appraise the committee about the issue. Copy of the attendance sheet of the participants attached and marked as **Annexure-3**.

## **Field Visit**

The following persons conducted meeting and the field visit on 27.10.2023 and 29.10.2023 in connection with this case:

- (i) Sh. Mahesh Dutt Purohit, Scientist- D, SRO, Jaipur MoEF&CC, GOI.
- (ii) Sh. Vijay Sharma, Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur(North).
- (iii) Sh. Ghazanfar Ali Zaidi, ACF Nahargarh Sanctuary, Jaipur.
- (iv) Sh. Dheeraj Nakra, Environment Expert, Department of Environment and Climate Change, Government of Rajasthan.
- (v) Sh. K.K. Kothari, Senior Regional Manager, RIICO, VKIA, Jaipur (Special invitee)

Following officers were also present during the visit:

- (i) Sh. Raghuveer Meena, Technical Assistant, Forest Department, Jaipur.
- (ii) Sh. Rajendra Jakhad, Range Forest Officer, Nahargarh Sanctuary.
- (iii) Sh. Om Prakash Shardul, Senior Scientific Officer, RO, RSPCB, Jaipur (North)
- (iv) Sh. Rajeev Agarwal, RM, RIICO, VKIA, Jaipur
- (v) Shri Kamal Tiwari, Petitioner in the Hon'ble NGT (Central Bench) O.A. No. 97/2022

## **Observations**

During field visit and on perusal of records, it was observed that: -

- (i) The impugned drains (Two Pacca Drains) near road no. 9-F-1 and 9-F-2 respectively of approximate dimensions 6 meters width and 3 meters depth have been constructed by RIICO in Vishwakarma Industrial Area on the land belonging to the RIICO in which untreated domestic and industrial waste water is being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary.
- (ii) It is pertinent to mention that quantity of the waste water being discharged was very less, however there are

possibilities of enhancement of flow and quantity of untreated effluents considering the industrial operations in VKIA.

- (iii) Ponding of waste water was also observed in khasra No. 10 belonging to the Nahargarh Wildlife Sanctuary.
- (iv) Representative of Forest Department informed as under: -
  - a) That the said Khasra no. 3 was part of reserved forest as per reserved forest notification of 1961 (**Annexure-4**). In 1971, Khasra No. 3 of forest land was released to RIICO for industrial purpose (**Annexure-5**). The boundaries of Nahargarh Wild Life Sanctuary were notified in 1980 (**Annexure-6**). In year 1998, an order regarding Nahargarh Sanctuary issued by the District Collector in which two areas were decided namely "*Reserved Forest*" and "*Described Area*". In Described Area, many rights and concessions have been given to local residents and other government agencies. (**Annexure-7**)
  - b) That the parts of drains have been constructed upon Khasra No.10 and Khasra No.3. The Khasra No. 10 is forest land and Khasra No. 3 belongs to RIICO (**Annexure-5**), Khasra No.3 falls in the described area and Khasra No. 10 falls in Reserved Forest (As per District Collector order of 1998) of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is further to submit that as per KML file of Nahargarh Wildlife Sanctuary uploaded on the website of Department of Forest (**Annexure-8**) also, it appears that both these khasras are falling in Nahargarh Wildlife Sanctuary.

- c) It has also been transpired from report of surveyor belonging to forest department (**Annexure-9**) that RIICO has levelled the land of Khasra No.10 and Khasra No.3.
- d) FIR No. 34/2060 dated 22.01.2022 has been registered by the Range Forest Officer, Nahargarh Wild Life Sanctuary (**Annexure-10**) against contractor of RIICO and a penalty of Rs. 2 Lakh INR has been imposed in forest offence making nallah and draining waste water in sanctuary area.
- (v) Representative of RSPCB informed that catchment area of both the drains was discussed with RIICO in Sept, 2023 and as per the identification of the area, copy of the map provided by the RIICO enclosed (**Annexure-11**), RSPCB conducted survey of 267 units in the catchment area. RSPCB has initiated action of imposition of Environmental Compensation against the units found discharging industrial waste water outside the premises.

### Conclusion

- (i) Two impugned drains (Two Pacca Drains) near road no. 9-F-1 and 9-F-2 respectively of approximate dimensions 6 meters width and 3 meters depth have been constructed by RIICO in Vishwakarma Industrial Area on the land belonging to the RIICO in Khasra No. 3 and a part in Khasra no. 10 of the Forest land through which untreated waste water is being discharged in Nahargarh Wildlife Sanctuary.
- (ii) It is pertinent to mention Khasra No.3 land belongs to RIICO, and, as per the official KML file uploaded on the website of Forest Department, this khasra is falling under

the Nahargarh Wildlife Sanctuary. Further Khasra No. 10 is forest land.

- (iii) Forest Department has already imposed penalty on contractor of RIICO on activity of construction of drains carried out by RIICO on Khasra No. 10 and the case is compounded.
- (iv) Discharge of waste water through the drains constructed by the RIICO still continues in a very low quantity and finally it is getting accumulated on the adjacent forest land.
- (v) In order to identify the sources and quantum of waste water generated, RSPCB conducted survey of 267 units in the catchment area of impugned drains and action has also been initiated for imposing Environmental Compensation against the units found discharging industrial waste water outside the premises.
- (vi) That the RIICO is not having any plan for treatment and final disposal of trade effluent as well as sewage generated from the Vishwakarma Industrial Area (VKIA). Further the RIICO has not obtained Consent to Establish and Consent to Operate for VKIA. In this regard a letter has also been issued on dated 25.08.2023 from the Member Secretary, RSPCB to MD, RIICO to obtain Consent to Establish and Consent to Operate for all the RIICO Industrial Areas. Copy of letter dated 25.08.2023 enclosed **(Annexure-12)**

### Recommendation

- (i) The committee is of the opinion that any activity proposed on any parcel of land of RIICO which falls under the Nahargarh Wildlife Sanctuary, a prior intimation and

necessary approvals under the prevailing rules must be obtained from the State Forest Department.

- (ii) State Forest department shall ensure that no construction, levelling or any other non-forest activity is done on the forest land of Khasra No.10 and the existing construction of drains upon this Khasra No.10 be demolished being in violation of Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife Protection Act, 1972.
- (iii) Waste water reaching to the forest land through the drains constructed by RIICO needs to be treated and diverted to gainful purposes ensuring no discharge on forest land.
- (iv) The RIICO must immediately prepare a detailed plan incorporating treatment of industrial and domestic effluent being generated from the industrial area along with plan for re-use of the treated waste water in industrial units or for other gainful purposes.
- (v) That RIICO should ensure that no treated or untreated effluent be allowed to reach the forest land.

#### Enclosures

- (i) Copy of order for constitution of the Joint Committee (Annexure-1).
- (ii) Copy of the Office Order for Field Visit (Annexure-2).
- (iii) Copy of the attendance sheet of the participants (Annexure-3)
- (iv) Reserved Forest, Nahargarh Notification of 1961 (Annexure-4).
- (v) Order for Land Released to RIICO in 1971 (Annexure-5)
- (vi) Nahargarh Wild Life Sanctuary Notification in 1980 (Annexure-6).

- (vii) Notification regarding Nahargarh Sanctuary declared by District Collector, 1998 (Annexure-7)
- (viii) KML file of Nahargarh Wild Life Sanctury as uploaded on website of Forest Department (Annexure-8)
- (ix) Report of surveyor belonging to Forest Department (Annexure-9)
- (x) FIR No. 34/2060 dated 22.01.2022 has been registered by the Range Forest Officer, Nahargarh Wild Life Sanctuary (Annexure-10)
- (xi) Copy of the catchment map provided by the RIICO enclosed (Annexure- 11)
- (xii) Copy of letter dated 25.08.2023 enclosed (Annexure-12)

			
Sh. Ghazanfar Ali Zaidi,	Shri Mahesh Dutt Purohit	Shri Dheeraj Nakra	Sh. Vijay Sharma,
ACF Nahargarh Sanctuary, Jaipur.	Scientist- D, SRO, Jaipur MoEF&CC, GOI	Environment Expert, Department of Environment and Climate Change, Government of Rajasthan	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur (North).

I/55522/2023



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE  
CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/उप क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर /Regional Office,  
Gandhinagar/(Sub-Regional Office, Jaipur)



ए 218&बी216 "अरण्यभवन", झालानासंस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४/ A-218& B2-216, "ARANYA  
BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004  
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

**Dated:16<sup>th</sup> October, 2023**

**To**  
**The Member Secretary,**  
**Rajasthan State Pollution Control Board,**  
**4-Institutional Area, Jhalana Doongri,**  
**Jaipur – 302004**

**Sub: Nomination of an official as a member of committee constituted by  
Hon'ble NGT vide order dated 25.09.2023 in the matter of O.A. No. 97/2022  
(CZ); Kamal Tiwari Vs. Union of India & Ors. - reg.**

**Ref: Letter received from RPCB, Rajasthan dated 11.10.2023.**

Sir,

With reference to the above cited subject, and captioned letter regarding nomination of the Officer from Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India in O.A. No. 97/2022 (CZ); Kamal Tiwari Vs. Union of India & Ors., this is to inform that the undersigned has been nominated with the following contact details (Mob: 9413845550; email: mahesdutt.purohit@gov.in) for the said committee.

2. This issues with the approval of the Competent authority.

**Sincerely,**

**(Er. Mahesh Dutt Purohit)**  
**Joint Director/Scientist 'D'**  
**Ministry of Environment, Forests and Climate Change**  
**SRO, Jaipur**

**Copy to:**

1. Smt. Shruti Rai Bhardwaj, Director/Scientist 'F', Monitoring Cell, MoEF&CC, New Delhi – For information please.

**राजस्थान सरकार**  
**पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

क्रमांक :F.12(67)Env/2023-00610

जयपुर, दिनांक:-26.10.2023

**कार्यालय आदेश**

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल में दायर ओ. ए. संख्या 97/2022, कमल तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.09.2023 की पालना में निर्देशानुसार एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रतिनिधियों की समिति का गठन किया जाता है:-

क्रम संख्या	अधिकारी / विभाग	प्रतिनिधि
1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।	श्री धीरज नकरा, पर्यावरणीय सलाहकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, वन विभाग।	श्री संग्राम सिंह कटियार, उपवन संरक्षक, वन्यजीव (चिडियाघर) जयपुर।
3.	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल।	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर (उत्तर)।

उक्त समिति माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में मौके (साइट) पर जाकर अतिक्रमणों का विशलेषण कर उपचारात्मक कार्यवाही करेगी तथा मौके पर यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो पर्यावरणीय मुआवजे का आंकलन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल (CPCB) द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदंडों के अनुसार करेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मोनाली सेन)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, वन विभाग, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
4. श्री शोयब हसन, अधिवक्ता, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल।
5. श्री संग्राम सिंह कटियार, उपवन संरक्षक, वन्यजीव (चिडियाघर) जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 25.09.2023 की पालना में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावे।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर (उत्तर) को नोडल अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 25.09.2023 की पालना में की गई कार्यवाही से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पालना रिपोर्ट चाहे जाने पर प्रस्तुत करने पर कार्यवाही करावें।
7. श्री धीरज नकरा, पर्यावरणीय सलाहकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 25.09.2023 की पालना में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावे।
8. रक्षित पत्रावली।

**RajKaj Ref**  
**4969004**



निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव



**Regional Office Jaipur (North)**  
**Rajasthan State Pollution Control Board**  
 Opposite Road No. 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur.  
 E-mail: [rorpcb.jaipur@gmail.com](mailto:rorpcb.jaipur@gmail.com)  
 Phone no. 0141-2850100

**Office Order**


F.No. RPCB/ROJP/N/Legal-168/813-817

Date: 26-10-2023

The Hon'ble National Green Tribunal in OA no. 97/2022, Kamal Tiwari V/s Union of India & Ors. has passed an order dated 25/09/2023 for constitution of a joint committee. Accordingly, nominations have been received from MoEF&CC, Forest Department and DoE. Members of the joint committee are requested to join for field visit of the area scheduled on 27/10/2023 as under :-


1. Sh. Mahesh Dutt Purohit, Scientist D, MoEF&CC, SRO, Jaipur
2. Sh. Dheeraj Nakra, Environmental Advisor, Department of Environment and Climate Change, GoR.
3. Sh. Sangram Singh Katiyar, DCF, Wild Life (Chidiyaghar), Jaipur
4. Sh. K. K. Kothari, Senior Regional Manager, RIICO, VKIA, Jaipur (Special Invitee)

The representatives are requested to make it convenient to reach RSPCB, Regional Office Jaipur (North), Opposite Road No. 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur at 11:00 AM along with available information and records in this regard.




  
 (Vijay Sharma)  
 Regional Officer

Copy to following for information:

1. Member Secretary, RSPCB, Jaipur
2. Sh. Mahesh Dutt Purohit, Scientist D, MoEF&CC, SRO, Jaipur
3. Sh. Dheeraj Nakra, Environmental Advisor, Department of Environment and Climate Change, GoR.
4. Sh. Sangram Singh Katiyar, DCF, Wild Life (Chidiyaghar), Jaipur
5. Sh. K. K. Kothari, Senior Regional Manager, RIICO, VKIA, Jaipur (Special Invitee)

  
 Regional Officer

Attendance sheet of representative present in meeting dated 29/10/2023  
in the matter of original application No.97/2022.

S.N.	Name	Department with Designation	Mobile No.	Signature
1.	MAHESH KUMAR PUNJIT	JD/Secy	9413245530	
2.	VIJAY SHARMA	R.O. RSPCB, Jaipur (North)	9414077343	
3.	Ghazanfar Ali	ACF, NWLS JPR	9828109540	
4.	DHEERAJ NAKHA	Environment Expert, Environment Department	8949094909	
5.	K.K. Kothari	Sr PM R11 CO, Jaipur (N)	94140-41231	
6.	Kamal Purohi	पर्यावरण विभाग	93525322- 68	
7.	-			
8.				
9.				
10.				

Annex A/1 26

पञ्जाब प्रदेश (सं) वि.सं. १९५०-५१  
 (घाटा २० के अधीन)

क्रमांक ४ (सं) घं ५०/५१ दिनांक २१-११-५१

श्री श्री जिला जिनको १९५०-५१ काय नवीन विभागीय इकाई की व्यवस्था पर विचार करने के लिये, १९५० के अधीन नवीन विभागीय इकाई के लिये विचार करने का प्रस्ताव किया गया था।

श्री श्री जिला जिनको पर विचार करने के लिये अधिसूचनाओं, यदि हों, निम्नलिखित हैं।

श्री श्री जिला जिनको पर विचार करने के लिये अधिसूचनाओं पर विचार करने के लिये अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जिला जिनको को भेजी हैं।

श्री श्री जिला जिनको पर विचार करने के लिये अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जिला जिनको को भेजी हैं।

श्री श्री जिला जिनको पर विचार करने के लिये अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जिला जिनको को भेजी हैं।

जिला जिनको  
 जिला जिनको

क्रमांक	विवरण	अंश	कुल अंश
१	जिला जिनको	१०१.१३१	१०१.१३१
२	जिला जिनको	१००.१३२	१००.१३२
३	जिला जिनको	९९.१३३	९९.१३३
४	जिला जिनको	९८.१३४	९८.१३४
५	जिला जिनको	९७.१३५	९७.१३५
६	जिला जिनको	९६.१३६	९६.१३६
७	जिला जिनको	९५.१३७	९५.१३७
८	जिला जिनको	९४.१३८	९४.१३८
९	जिला जिनको	९३.१३९	९३.१३९
१०	जिला जिनको	९२.१४०	९२.१४०
११	जिला जिनको	९१.१४१	९१.१४१
१२	जिला जिनको	९०.१४२	९०.१४२
१३	जिला जिनको	८९.१४३	८९.१४३
१४	जिला जिनको	८८.१४४	८८.१४४
१५	जिला जिनको	८७.१४५	८७.१४५
१६	जिला जिनको	८६.१४६	८६.१४६
१७	जिला जिनको	८५.१४७	८५.१४७
१८	जिला जिनको	८४.१४८	८४.१४८
१९	जिला जिनको	८३.१४९	८३.१४९
२०	जिला जिनको	८२.१५०	८२.१५०

जिला जिनको



राजस्थान सरकार

T/c

Page No. 28-29

राजस्व (क) विज्ञप्ति

प्रपत्र 'जे'

(धारा 20 के अधीन)

संख्या एफ.7(28)रा.क./61

दिनांक 21.11.81

चूंकि विज्ञप्ति दिनांक 15.10.47 द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि की जयपुर वन अधिनियम, 1939 के अधीन आरक्षित दर के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियानचारें यदि हों, निबटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित व आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुंकि है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटावी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन भूमि में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एक्ट की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक 15.01.62 से अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव कोई अधिकार नहीं रखेंगे। उक्त अधिकारों की संक्षिप्त सूची (2) में उल्लिखित सीमा के ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय 2 पर निर्धारित किये जावें, अनुदानों का उपयोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
आर.के. चतुर्वेदी,  
शासन सचिव।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खंड का नाम	मौजा	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
जयपुर	जयपुर	आमर 54	आमर	4411.531	सीमा विवरण का परिशिष्ट अ संलग्न है
	आमर		मानपुर सडवा	157.125	
	जमवारामगढ़		विजय नहर	81.344	
			नाहरगढ़	2152.406	
			बस्सी- सीतारामपुरा	276.875	
			किशनबाग	363.531	
			बीड पापड़	1198.594	
			माहपुरा उर्फ कुकरखेडा	351.968	
			नायलाबाग	1565.812	
			बीड जैशला	828.438	
			जैशला	751.313	
			आकंडा	273.219	
			शीष्यावास	2865.946	
			बडागाव	79.938	
			खैरवाडी	459.562	
			विशनगढ़	227.843	
			अखैपुरा	62.5	
			लक्ष्मीनारायणपुरा	276.937	
			बडारन	26.5	
			उदयपुरा	943.718	
			चक हनुमानपुरा	14.343	

	रोतारागपुरा	88.812	
	दीलातपुरा	1197.25	
	बगवाडा	663.094	
	सींगवाना	1429.531	
	कचरावाला	1151.562	
	छापराडी	490.469	
	जैतपुरा	1020.969	
	अचरोल	1673.094	
	अनी	131.906	
	लवाना	290.75	
	गुनावता	439.312	
	ढण्ड	129.843	
	हरवर	298.843	
	खुराड	797.625	
	घिमनपुरा	19.031	
	कुकस	2594.968	
	नेरतीवास	576.687	
	बीड तालेडा	526.5	
		30004.907	
		एकड	

प्रपत्र 'अ'

ब्लॉक संख्या 54 आमेर बडी लाइन रेंज जयपुर

क्र.सं.	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कडिया में		दिशा आगापी स्तम्भ तक	सीमा रेखा प्रकार
			जरीब	कडिया		
			4	5	6	7
1	2	3	7	60	पश्चिम	सीधी रेखा
2	2	3	11	10	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
3	3	4	3	40	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
4	4	5	54	40	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
5	5	6	7	50	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
6	6	7	9	20	पूर्व	सीधी रेखा
ग्राम जैतपुरा						
7	7	8	21	40	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
8	8	9	12	80	उत्तर	सीधी रेखा
9	9	10	12	60	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
10	10	11	12	60	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
11	11	12	14	20	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
12	12	13	12	50	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
13	13	14	6	80	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
14	14	15	25	80	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
ग्राम अचरोल						
15	15	16	3	70	उत्तर	सीधी रेखा
16	16	17	10	0	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
17	17	18	10	30	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
18	18	19	27	60	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा



Scan 5 Dec 2022\_compressed



जमानन्दी (खेत/खतोनी) (प्रतिलिपि)

Annex A/5  
 (13) पृष्ठ संख्या - 1 of 1  
 (67)

ग्राम का नाम :- पापड़  
 पटवार हल्का :- भोटवाड़ा  
 भू. अभि. नि. क्षेत्र :- जयपुर (पश्चिम)  
 तहसील :- जयपुर  
 जिला :- जयपुर

सम्मत :- 2069 - 2072  
 भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार  
 क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा  
 छाता संख्या नया :- 22  
 छाता संख्या पुराना :- 25

कार्यकार का नाम/पिता का नाम  
 जाति निवास के पते सहित :- राजस्थान स्टेट इन्वस्टिगेशन  
 मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन

समूचा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त सगान	सिंचाई के साधन	अन्वय के रूप में प्रयोजित नामांतरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	100-10	बीड 1	100-10	50.25		
2	6-14	बीड 1	6-14	3.35		
3	131-09	बीड 1	131-09	85.72		
4	77-06	बीड 1	77-06	38.85		
5	112-18	बीड 1	112-18	56.45		
6	38-12	बीड 1	38-12	19.30		
7/1	31	बीड 1	31	15.50		
कुल	7 498-09		498-09	249.22		

यह प्रपत्र केवल शर्धी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में राज्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 17/10/2014

**NIG**

जैरसमेरिग का बिल नम्बर 1942

① - मिसब हबीबत खान 1987 - 28/-  
 संसारा नं 3

② - मिसब वकील खान  
 संसारा नं 2

③ - मिसब मिसब खान  
 सहायक वन सर्वेक्षक विभाग, जयपुर

ATTESTED TRUE COPY  
 Issued Under RTI Act 20  
 23 MAY 2022  
 Public Information Officer, SDC, J.  
 J.P. Road No. 5, L.I.O.

सहायक वन सर्वेक्षक विभाग, जयपुर



< Scan 5 Dec 2022\_compressed

445 Amnd. A/4  
66

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
REVENUE (A) DEPARTMENT

FROM:

The Deputy Secretary to Government,  
Rajasthan, JAIPUR.

TO:

The Chief Conservator of Forests,  
Rajasthan, JAIPUR.

No.F.7(2)REV/A/70

Jaipur, dated the 22nd March, 1971

Sub: Release of forest land in village Kukar Kheda  
for industrial purposes.

Ref: This Deptt. letter of even number dated 30-1-71.

Sir,

In continuation of this department letter under reference I am directed to convey sanction of the Governor to release 25 & 14 Biswas of forest land as per details given below to the Revenue Department for industrial purposes on the terms and conditions conveyed to you vide letter under reference:-

Village	Khasra No.	Bigha	Biswa
Kukar Kheda	4	6	00
-do-	9	9	07
Beer Paper	2214	3	12
-do-	15	3	00
-do-		1	15
		25	14



Yours faithfully,

Sd/-

( GANPAT RAI )

Deputy Secretary to Government.

Copy in continuation to this Department endorsement of number dated 30-1-71 forwarded to the following for information necessary actions:-

1. Secretary to the Government, Industries Department, Rajasthan
2. Collector, Jaipur.
3. Chairman, Rajasthan State Industrial & Mineral Development Corporation, Jaipur.
4. Dy. Secretary to the Govt., Revenue 'B' Deptt., Raj., Jaipur.
5. Conservator of Forests, Rajasthan, Jaipur.
6. Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.
7. Chief Town Planner & Architectural Adviser, Rajasthan, Jaipur
8. Guard File.

Sd/-

Deputy Secretary to Government



Annexure XA-12

राजस्थान प्रान्त  
राजस्थान-विधान

क्रमांक 11/19/राज-8/80 असे, दिनांक 22 फरवरी, 1980.

बैत-पुला

वन्धु जीवपुला। अधिनियम (1972) 1972 का संशुद्ध  
अधिनियम संख्या 33, जो कि भारत प्रजासत्ताक अधिनियम संख्या 11 का  
द्वारा संशुद्ध संख्या 30 (1972) संशुद्ध संख्या 30 (1972) संशुद्ध संख्या 30 (1972)  
। अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य का क्षेत्र, जो कि  
। 18 के अधिनियमों के अन्तर्गत राजस्थान प्रान्त विधान सभा में अधिनियम संख्या 33  
के अन्तर्गत राजस्थान अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)  
प्रांतिवादीय कानूनसभिय, 4-अंश, अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)  
उपरोक्त ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)  
सही है, जिसे अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)  
राज्य अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)  
दिए गये अधिनियमों के अधिनियमों का विवरण है।

सूची

राजस्थान राज्य अधिनियम संख्या 33 (1972) के अधिनियमों का विवरण:-

- 1. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 2. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 3. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 4. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 5. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 6. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 7. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 8. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 9. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)
- 10. अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)



राजस्थान अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972) अधिनियम संख्या 33 (1972)

(21)

विश्वविद्यालय, काठमाडौं  
संख्या १०१२-९६

प्राचार्य  
विश्वविद्यालय, काठमाडौं

- प्रतिवेदी प्रस्ताव का अनुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- १- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - २- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - ३- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - ४- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - ५- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - ६- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - ७- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - ८- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - ९- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
  - १०- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।

प्राचार्य  
विश्वविद्यालय, काठमाडौं

प्रतिवेदी प्रस्ताव हेतु प्रेषित है:-

- १- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
- २- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।
- ३- शिक्षक, प्रा. विद्यालय, काठमाडौं, नेपाल।

प्राचार्य  
विश्वविद्यालय, काठमाडौं

प्रतिवेदी प्रस्ताव हेतु प्रेषित है:-

प्राचार्य  
विश्वविद्यालय, काठमाडौं

विश्वविद्यालय, काठमाडौं



T/c 23-24

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रप-8) विभाग

Ann. No

क्रमांक/एफ11(39) राज-8/80

जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1980

अधि-सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1) 72 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प011014/3/12 एफ.आर. आई./डब्ल्यू.एल. एफ. दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को उनकी परिस्थिति व महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदक्षीन बनाये गये नियमों से जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरण:-

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

सीमा विवरण नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य

उत्तर- वनक्षेत्र बीड़ तालेड़ा व ग्राम पापड़ की उत्तरी सीमाओं तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र सीमावर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1090 व 1091 ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4,5,6 व 7 का उत्तरी भाग।

पूर्व- वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस, खुराड, चिमनपुरा, आमेर, आबादी आमेर आबादी आमंर मांवठा, आमेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ़।

दक्षिण- वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी ब्रह्मपुरी व पुरानी बस्ती।

पश्चिमी- नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग, बीड़ पापड़ व नाला, अमानीशाह से पश्चिम विशकर्मा, ओद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र जेसला, आकेड़ा, शिस्यावास, बड़ा गाँव माडिया व समीपवर्ती क्षेत्र बड़ा गाँव माडिया खसरा नम्बर 02-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सीमा वन क्षेत्र तोलेड़ा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1092-93

राज्यपाल के आदेश पे

(एम0एस0 सिधवा)  
उप शासन सचिव

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
8. जिलाधीश जयपुर
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक अनुभाग- को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित।
10. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

उप शासन सचिव

एम0पी0 बैरवा/21.09.80

क्रमांक : R-6/(24)/93/6784

दिनांक 15-11-97

अति - आवश्यक सूचना का अधिकार

माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के तहत रखी हुये वाइल्ड लाईफ एक्ट, 1972 के तहत नाहराढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जिसकी अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर, 1980 (प्रतिलिपि संलग्न) को जारी की गई उसके संबंध में धारा वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभ्यारण्य क्षेत्र में भूमि अवाप्ति अधिकार संघ करने संबंधित कार्रवाई दिनांक 22.8.98 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग द्वारा प्रेषित सूचना दिनांक 13.10.97 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में जिला कलक्टर द्वारा अंतिम आर-6/24/93/11-21 दिनांक 15-11-97 को धारा 21 वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत उद्घोषणा की गई।

धारा 21 वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत निम्न क्षेत्रों को सम्भालना

निम्न क्षेत्र, उनकी सीमाओं तथा विवरण निम्न प्रकार उद्घोषित किया गया है -

उत्तर - वन क्षेत्र बीड कालोडा व ग्राम खुराड की उत्तरी सीमा कुछ ग्राम मुखरा व वन क्षेत्र सीमावर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुर धरारा नम्बर 1090 व 1091 व ग्राम मुखरा धरारा नम्बर 4, 5, 6 व 7 का उत्तरी भाग।

पूर्व - वन सीमा लाईन सीमावर्ती राजरा क्षेत्र ग्राम खुराड, विष्णुपुर आगेर, आन्दी आगेर गावडा, आगेर देहली रोड व राजरा क्षेत्र ग्राम नाहराड

दक्षिण - वन सीमा लाईन सीमावर्ती आन्दी ब्रह्मपुरी व पुरानी नरसी

पश्चिम - नहरवी वन वन आनादी क्षेत्र व राजरा क्षेत्र ग्राम किशनपुर, बीड गावडा व माला अमलीशाह से पश्चिम विश्ववर्ती औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाईन सीमावर्ती राजरा क्षेत्र ग्राम अशला, आगेर, शिपकानरा, चडा गांव, माड्या व सीमावर्ती वन क्षेत्र चडा गांव अक्षा संख्या नम्बर 82-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोण व सीमा वन क्षेत्र बीड कालोडा सीमावर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुर, धरारा नम्बर 1092-93

ऊपर उद्घोषणा की नाहराड वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रस्तावित प्राथमिक स्थानों पर अन्तिम किया गया। जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 15-11-97 को जारी ऊपर उद्घोषणा के पालनार्थ 2 भाग के निर्धारित समय में नाहराड वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित संबंधित नहराड क्षेत्र से एके भी आपत्ति/बलेम प्राथना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में संबंधित तहसीलदारों से विहित

फोटो प्रति प्रमाणित  
सहायक जयपुर  
नाहराड क्षेत्र  
जयपुर

53/14/21

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित  
फोटो प्रति  
सहायक जयपुर

मिन्डुओं पर विभिन्न गांवों में । भिन्ना कलाक्टर द्वारा जमीन विनिर्देश पर ।  
विनिर्देशित, तब ही जाये गये ।

- [1] इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं हो रहा है ।
- [2] कुछ क्षेत्रों में सड़कें बनी हुई हैं ।
- [3] इस क्षेत्र में निजी खातेदारी भूमियां स्थित हैं । किन्तु अधिकारांश भूमि गुप्त निर्माण खातेदारी समितियों को देयी हुई है ।
- [4] इस क्षेत्र में विनायक भूमि भी स्थित है ।
- [5] इस क्षेत्र में चारागाह भूमि नहीं है ।
- [6] इस क्षेत्र में गोबंदे पर उपलब्ध विनायक, अथवा विकारा प्राधिकरण व विनायक विभाग की खासी पट्टी भूमियां परगनों के चराई के काम में आ रही हैं ।
- [7] इस क्षेत्र में पापट के हनुमानजी का मंदिर, पित्त मंदिर, माधर सिद्ध भूमियां जी नग मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल स्थित हैं ।
- [8] इस क्षेत्र में कोई सातान स्थित नहीं है ।
- [9] उक्त समस्त क्षेत्र भूमि जगपुर विकारा प्राधिकरण एवं नगर विभाग की सीमा में आता है । अतः इस क्षेत्र में प्राण संरक्षणों में अस्तित्व नहीं है ।
- [10] इस क्षेत्र में कितनी भूमि में परिवर्तन नहीं है । लेकिन भू-समाप्ति में परिवर्तन हो रहा है ।
- [11] अधिकारांश खातेदारी भूमियों का वेगान गुप्त निर्माण खातेदारी समितियों को हो गया है ।
- [12] क्षेत्र में शण्डाने, कंडिस्तान व अन्य उपारामा स्थित स्थित हैं ।
- [13] इस क्षेत्र में कोई बांध स्थित नहीं है । किन्तु बीड पापट व किसानवला क्षेत्र में पूर्व में गजार बांध के लिये कुछ भूमि अगस्त की गई थी, जो विनायक विभाग के नाम दर्ज है ।
- [14] इस क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोगी भवन नहीं है ।
- [15] खनन व अन्य उपयोग हेतु प्रस्तावित अथवा स्थित क्षेत्र में रसा महसूल व नदी स्टेसन, पुरातत्व विभाग का जायजला, कैफेटरिया, गेटोर की छतरियां एवं टी.वी. रिसे टायर स्टेसन आदि स्थित हैं । साथ नगर विभाग एवं जगपुर विकारा प्राधिकरण की भूमियों पर नियमित व अनियमित अंतरासीय योजनाएं स्थित हैं तथा वन विभाग की भी कुछ भूमि पर आबादी बनी हुई है ।
- [16] इस क्षेत्र में सार्वजनिक चला स्थल स्थित है ।
- [17] इस क्षेत्र में भूमि अगस्त की योजनाओं में आ रही है ।




अति - आवश्यक  
सूचना का अधिकार

27/10/21

कोटा नगर प्रशासन  
सहायक नगरपालिका  
जगपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रकाशित  
कोटा प्रति  
सहायक नगरपालिका  
जगपुर

- [18] इस क्षेत्र में मत्स्य संबंधी गतिविधियां नहीं हैं।
- [19] इस क्षेत्र में कुछ राजकीय कार्यालय स्थित हैं।
- [20] इस क्षेत्र में पटवार, पाण्डल क्षेत्र नापरगढ़ में कुछ निजी शिक्षण संस्थानों तथा न्यू मार्डन पब्लिक स्कूल, पराडाइन स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थाएं स्थित हैं।
- [21] अधिसूचित क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय [भारत सरकार] का टोपो. स्टेशन, पुरतत्व विभाग का कार्यालय, केफेटेरिया, टी.वी. रिले स्टेशन के कार्यालय स्थित हैं।



उद्घोषित अभ्यारण्य क्षेत्र में अनुमानित जनसंख्या 15,500 है तथा परिवारों की अनुमानित संख्या 2,550 है तथा 5 बरिगाँव बची हुई है एवं पशुओं की अनुमानित संख्या 2000 है। इसमें अतिरिक्त क्षेत्र में खाली पड़ी हुई जंगल, विनाश प्राधिकरण, सिंचाई विभाग व निजी खातेदारी भूमि पर भी 300-400 पशु चराने के लिये आते हैं।

एलांकि नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में जिला कलक्टर जयपुर द्वारा आपत्तित आपत्तियों के बावजूद कहीं भी कोई औपचारिक आपत्ति या मलेरि प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि उक्त उद्घोषित क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने से पूर्व उक्त स्थित आबादी क्षेत्र, सार्वजनिक महत्त्व के स्थल यथा मंदिर, मण्डप, विभागीय प्रतिष्ठान तथा उरागे आने-जाने के रास्तों की स्थिति को मद्देनजर रखा जाना उचित होगा।

**माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.8.97 एवं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत जिस क्षेत्र में अधिवासी बने तब विचार जा रहा है, उक्त "वर्णित क्षेत्र" निम्न प्रकार है -**

[1] वर्णित क्षेत्र -  
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 18 के तहत जारी की गई अधिसूचना दिनांक 22-9-1980 एवं धारा 21 के तहत दिनांक 15.11.97 की उद्घोषणा में अंकित क्षेत्र में से राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 के तहत वर्ष 1961 की अधिसूचना के तहत घोषित "आरक्षित वन क्षेत्र" को हटाते हुए शेष भूमि क्षेत्र को "वर्णित क्षेत्र" माना जाता है।

[2] संदर्भ तिथि -  
उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के अधिकारों को तय करने के लिये माया 21 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत जारी की गई उद्घोषणा दिनांक 15-11-97 को संदर्भ तिथि तय की जाती है।

अति-आवश्यक  
11/10/21

सहायक वन संरक्षक  
नाहरगढ़ जयपुर


सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित फोटो प्रति  
स.सि.पू. [Signature]  
सहायक वन संरक्षक, नाहरगढ़, जयपुर

[18] इस क्षेत्र में मत्स्य संबंधी गतिविधियां नहीं हैं।

[19] इस क्षेत्र में कुछ राजकीय कार्यालय स्थित हैं।

[20] इस क्षेत्र में पटवार गण्डल क्षेत्र नाहरगढ़ में कुछ निजी शिक्षण संस्थानों के साथ ल्यू मार्डन पब्लिक स्कूल, पेटाडइज स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थाएं स्थित हैं।

[21] अधिसूचित क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय [भारत सरकार] का टोपो. स्टेशन, पुरातत्व विभाग का कार्यालय, कैफेटेरिया, टी.वी. रिले स्टेशन के कार्यालय स्थित हैं।



उद्घोषित अभ्यारण्य क्षेत्र में अनुमानित जनसंख्या 15,500 है तथा परिवारों की अनुमानित संख्या 2,550 है तथा 9 बस्तियां बनी हुई हैं एवं पशुओं की अनुमानित संख्या 2000 है। इसमें अतिरिक्त क्षेत्र में खाली पड़ी हुई शायदूट भिन्नता प्राधिकरण, सिंचाई विभाग व निजी खादोदारी भूमि पर भी 300-400 पशु चराई के लिये आते हैं।

हालांकि नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में जिला कलमटर जयपुर द्वारा आमंत्रित आपत्तियों के बावजूद करीब 100 औद्योगिक आपत्ति का चलन प्रारंभ हुआ है। तथापि उक्त उद्घोषित क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने से पूर्व जहाँ स्थित आबादी क्षेत्र, सार्वजनिक महत्त्व में स्थल तथा गाँव, शमशान, निजीय प्रतिष्ठान तथा उरामें आने-जाने के रास्तों की स्थिति को ध्यान में रखा जाना उचित होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.8.97 एवं वाईएल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत जितने क्षेत्र में अधिकाओं को तय किया जा रहा है, उरायन "वर्धित क्षेत्र" निम्न प्रकार है -

[1] वर्धित क्षेत्र -

वाईएल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 18 के तहत जारी की गई अधिसूचना दिनांक 22-9-1980 एवं धारा 21 के तहत दिनांक 15.11.97 की उद्घोषणा में अंकित क्षेत्र में से राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, 1953 के तहत वर्ष 1961 की अधिसूचना के तहत घोषित "आरक्षित वन क्षेत्र" को हटाते हुये शेष भूमि क्षेत्र को "वर्धित क्षेत्र" माना जाता है।

[2] संदर्भ तिथि -

उपरोक्त वर्धित क्षेत्र के अधिकाओं को तय करने के लिये माया 21 वाईएल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत जारी की गई उद्घोषणा दिनांक 16-11-97 को संदर्भ तिथि तय की जाती है।

8/1/21


सहायक वन सारक्षक (विज्ञान) नाहरगढ़ जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित फोटो प्रति

ANX - A/10  
ANX - A/21

10

147



अति - आवश्यक  
सूचना का अधिकार

[3] तब किन्हीं गये अधिकारों का विवरण -

अधिकारों के संक्षेप में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जाता है कि चर्चित क्षेत्र को अंतिम रूप से संकटित घोषित होने के फलस्वरूप इन अधिकारों का प्रयोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के अन्तर्गत नहीं हुए प्रयोग किया जा सकेगा। इसका तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की किसी भी धारा के अन्तर्गत नहीं किया जा सकेगा।

चर्चित क्षेत्रों में भारी आबादी व रिहायशी एवं आबादी क्षेत्रों में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों व जन-जीवन की जीविकोपार्जन व अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एवं उद्घोषणा के फलस्वरूप प्राप्त हुई आपत्तियों/बलोको एवं विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त हुई गन्ना आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए एवं सतपराचात राजकीय जांच व मुख्य वन संरक्षक व मुख्य वन्य जीव प्रतिपक्षक से हुए विचार-विमर्श के आधार पर यह संकेत दिया जा रहा है कि चर्चित क्षेत्रों में निर्माणकार अधिवार तय किये जाते हैं -

1- चर्चित क्षेत्र में सगस्त राजस्व भूमि के लिए अन्तर्गत राजकीय भूमि, निजी स्वामित्व की भूमि शामिल है, जहाँ राजस्व अधिनियम 1955 एवं राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रशासन गणनात तामु रहती हूये उनके तहत प्रदत्त अधिकार गभावत रहेंगे। इसके अतिरिक्त चर्चित क्षेत्र की ऐसी भूमि पर वर्तमान में प्रचलित राजस्व के सगस्त अधिनियमों, नियमों व अन्य कानून यथागत तामु रहेंगे। किन्तु किसी भी प्रकार की भूमि के व्यावसायिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक खरीद-फरोख्त, संपादन, हस्तान्तरण से पूर्व वन विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

राजस्व रिकार्ड में दर्ज राजकीय भूमि अन्तर्गत सिवायक व चारगाह भूमि शामिल है तथा निजी खातेदारी की भूमि में नुए, चाडे, वृक्ष, रिहायशी यकाओं के वर्तमान अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा और चर्चित क्षेत्र में सिवायक व चारगाह व अन्य राजस्व व निजी भूमि भूमि का उपयोग इन राजकीय कानूनों के अनुसार ग्रामवारी व सारकार यानत करती रहेगी और इन कानूनों से उभरना मूलभूत सुविधाएं व अधिकार गभावत बने रहेंगे।

2- इस आदेश की दिखी को चर्चित क्षेत्र में अन्तर्गत राजकीय, छोटी-मझी व कच्ची-मक्की सड़कों हैं, ये गभावत रहेगी और इन सड़कों के प्रयोग के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार गभावत रहेंगे। राजकीय सड़कों के निर्माणधीन सड़कों का कार्य भी पूर्ण किया जा सकेगा। चर्चित क्षेत्र में राजकीय सड़कों के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों पर भी निर्माण किया जा सकेगा।

27/10/21

फोटो प्रति प्रमाणित  
सहायक वन संरक्षक  
नाहरगाढ़ वन्यजीव  
जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित  
फोटो प्रति  
स.लो.सू. अ  
सहायक वन संरक्षक नाहरगाढ़ जयपुर

जो रास्ते राजस्व रिकार्डों को दर्ज है अधिकांश जो रास्ते अधिकार के रूप में इस तिथि को चालू है वे रास्ते यथावत चालू रहेंगे व उनके प्रयोग के अधिकार यथावत रहेंगे।

3- तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं गिला कलक्टर अति - आवश्यक सूचना का अधिकार

की गई जांचों के अनुसार वर्धित क्षेत्र में कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। यदि राज्य सरकार ने खनन पट्टे दिये हों तो उनमें खनन कार्य जारी रखने का अधिकार रहेगा। खनन विभाग नई खानों के पट्टे देवे पर विचार करता है तो प्रचलित नियमों के तहत वर्धित क्षेत्र में खनन पट्टे देने का अधिकार रहेगा। जिन खानों में अनाधिकृत रूप से खनन कार्य किया जा रहा है उन्हें खनन कार्य का अधिकार प्रदत्त नहीं होगा।

4- पंचायत राज से संबंधित सभी नियम व अधिनियम वर्धित क्षेत्र में यथावत लागू रहेंगे। पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व गिला परिषद को जो भी प्रदत्त शक्तियां हैं, उनका उपयोग यथावत रहेगा। इसी प्रकार पंचायत राज संस्था द्वारा कराये जा रहे विकास कार्य एवं आवासीय क्षेत्र में व उनके अधीन आने वाली भूमि क्षेत्र में विधियों के तहत सभी अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार रहेगा।

5- वर्धित क्षेत्र में आने वाले समस्त बांध, तालाब, तलाई, एनीमेट, रिचार्ज परियोजना एवं जल संग्रहण योजनाएं यथावत रहते हुए वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इनके प्रयोग व उपयोग करने का अधिकार यथावत रहेगा। इसी प्रकार नये बांध, तालाब, तलाई, एनीमेट आदि बनाने जाने के लिये भी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकार यथावत रहेगा।

6- वर्धित क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थलों, मेलों के आयोजन, विभाग स्थल, धार्मिक गिनतियां उपयोग समय-समय पर आम जनता करती आ रही है, उन्हें उनका उपयोग करने के अधिकार यथावत रहेंगे। धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जायेगा और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर सकेंगे।

7- जन स्वास्थ्य अधिाधिकारी विभाग के तहत सभी जलदाय व पेयजल योजना वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कार्यरत रहेगी और उन्हें प्रयोग करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगा। भविष्य में भी पेयजल की किसी भी योजना को तय करने व स्थापित करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेंगे।

8- वर्धित क्षेत्र में विद्युत की वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित विनयों में खंभे, तार व विद्युत का आव्यसाधिका व परतु उपभोग यथावत रहेगा और विद्युत व्यवस्था के तहत समस्त स्थापित प्रतिष्ठान व संघ यथावत रहेंगे। अधिसूचना में भी विद्युत मण्डल विभाग को विद्युत की किसी भी परियोजना को लागू या गिरावर व्यवस्था के कार्य का अधिकार रहेगा।

रक्षा के अधिकार का या सम्बन्ध

दिनांक 27/10/21

सहायक संचालक (सहायक) जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित फोटो प्रति

- 9- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेगी और उसके उपयोग व प्रयोग करने के अधिकार भी यथावत रहेंगे। भविष्य में नई योजना या विस्तार के लिये भी कार्य करने के अधिकार रहेंगे।
- 10- सभी राजकीय व निजी शिक्षण संस्थाओं के उपयोग व प्रयोग का अधिकार यथावत रहेंगे एवं उनके भवनों के उपयोग के अधिकार भी यथावत रहेंगे। भविष्य में भी संबंधित विभाग द्वारा नई शिक्षण संस्थाएं खोलने या नये भवन (बिल्डिंग) अधिकांश संस्था का विस्तार करने व शिक्षण संस्था संबंधित सभी कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संपादित करने के अधिकार रहेंगे।
- 11- वर्णित क्षेत्र में सभी राजकीय कार्यालय व भवन यथावत रहेंगे व उनके उपयोग व प्रयोग के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेंगे। भविष्य में किसी भी राजकीय कार्यालय की स्थापना व विस्तार करने या भवन बनाने के अधिकार भी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही यथावत रहेंगे।
- 12- वर्णित क्षेत्र में सभी चिकित्सालय व पशु चिकित्सालय चाहे वो राजकीय चिकित्सालय हो या निजी चिकित्सालय, उनको संचालित रहने व उनके प्रयोग करने के अधिकार यथावत रहेंगे। भविष्य में भी वर्तमान चिकित्सालय के विस्तार अथवा नये चिकित्सालय का निर्माण करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रहेंगे।
- 13- वर्णित क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्थलों व भवनों के उपयोग व प्रयोग करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेंगे।
- 14- वर्णित क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्था में जो भी भातयात एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध है एवं प्रचलित है, विद्यार्थियों, वरकों, जीपों, निजी कारों व अन्य प्रकार के वाहनों के आने-जाने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेंगे।
- 15- पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिये वर्णित क्षेत्र में जो भी परियोजना निर्मित की गई हैं वह यथावत रहेगी और उनके प्रयोग के अधिकार भी यथावत रहेंगे। भविष्य की परियोजना बनाने अथवा उनके उपयोग के अधिकार भी यथावत रहेंगे।
- 16- वर्णित क्षेत्र में नव्य जीवों से आत्म सुरक्षा के लिये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत दिये गये प्रावधानों के अनुसार निवारणों का अधिकार प्रदत्त है। अतः वे इन निषेधों व अधिनियमों के तहत अधिनियमों का प्रयोग कर सकते हैं।
- 17- वर्णित क्षेत्र में शरणान व कब्रिस्तान यथावत रहेंगे व उनको

इसके अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणित

सहायक  
नाहरसद वन्यजीव  
जयपुर

27/10/21

राज्य अधिनियम के तहत प्रमाणित  
कोटो प्रति  
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर



ANX - A/21

(20)

(151)

~~ANX - A/20~~

26- निजी भूमि के आवासीय फार्म के लिये संपरिवर्तन करने के अधिकार यथावत रहेंगे। इसी प्रकार राजकीय भूमि विनायक/धारक/वा विभिन्न सार्वजनिक उपयोग हेतु संपरिवर्तन, सार्वजनिक भवनों के लिये आवंटन करने के अधिकार वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यथावत रहेंगे।

27- सार्वजनिक उपयोग व विकास हेतु खातेदारी भूमि को राजस्व नियमों के तहत अस्थापित करने के अधिकार यथावत रहेंगे। संशोधित क्षेत्र में यदि अत्याप्ति की कार्यवाही विचारार्थन हो तो वह भी नियमानुसार पूर्ण की जा सकेगी।

जैसा कि प्रारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है कि जो भी अधिकार इस आदेश के द्वारा निर्णित किये गये हैं वे राणी वॉर्डल्ड साइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के मूल अधिनियम की विभिन्न धाराओं एवं मन्त्रालय संरक्षण अधिनियम, 1991 के तहत भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं और संशोधित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वह सेवचुरी की अंतिम अधिसूचना जारी होने की स्थिति में इन प्रावधानों पर अमल करें। मन्त्रालय संरक्षण अधिनियम एवं वर्तमान व भविष्य में लागू अधिनियमों के मध्य विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार किये रहेगा 9 यह राज्य सरकार द्वारा 26/11/97 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना के तहत प्रस्तुत

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हालांकि आवासीय क्षेत्रों में संस्थाप व व्यक्तियों ने संशोधित क्षेत्र को प्रस्तावित सेवचुरी क्षेत्र से पृथक रखने का प्रार्थना की है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 22-11-97 एवं वॉर्डल्ड साइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के संदर्भ में जिला कालक्टर द्वारा इस क्षेत्र को प्रस्तावित सेवचुरी से पृथक करने के अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः ऐसी आपत्तियों व क्लेमों क्षेत्राधिकार में न होने के कारण उन पर विचार नहीं किया गया।

मह आदेश आज दिनांक 21-6-98 को जारी किया गया।

विनोद पन्नी  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर

फोटो प्रति प्रमाणित  
सहायक क्षेत्र संरक्षक  
नाहरगढ़ व-शर्जास  
जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित -  
फोटो प्रति  
सहायक क्षेत्र संरक्षक विड़ियाघर, जयपुर

सूचना अधिनियम के तहत प्रस्तुत  
किया प्रमाणित

21/6/98

ANX - A/21

(21)

15.2

(19)

~~ANX - A/21~~

नामिका जिला कलेक्टर, जयपुर

दिनांक: 21/8/98

अति - आदेश्यक  
सहायक वन संरक्षक की अफिस

क. डे. ग.

अंशिक संशोधन

नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण के संदर्भ में अधिकार तय करने संबंधित जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक: आ-6/21/93/6785 दिनांक: 21.8.98 को तदनुसार वर्ष 1961 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र को वर्ष 1961 की अधिसूचना के तहत घोषित किया जाना अंकित किया है। उप वन संरक्षक, जयपुर (पश्चिम) के स्पष्टीकरण दिनांक: 22.8.98 के संदर्भ में जिन स्थानों पर फेबल वर्ष 1961 की अधिसूचना के तहत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित होना अंकित किया है, उसे निम्नानुसार अंशिक संशोधन किया जाता है:-

दिनांक: 21.8.98  
के आदेश में अंकित

अब संशोधित पढा जाये

वर्ष 1961 के तहत  
घोषित 'आरक्षित  
वन क्षेत्र'

वर्ष 1961 से लेकर निम्नानुसार अंकित वन खण्ड और राज प्रभ वी. अंकित संख्या व तारीख को घोषित 'आरक्षित वन क्षेत्र'  
बडी लार्सन ओवर रं. 54 भाग 10 ख। दिनांक: 12.4.62

दिनांक: 21/8/98  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
जयपुर

सहायक वन संरक्षक के तहत प्रमाणित  
दिनांक: 21/8/98

21/8/98

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित  
फोटो प्रमाणित  
स. लो. सू. अधिकारी  
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर


फोटो प्रमाणित  
सहायक वन संरक्षक  
जयपुर

# Nahargarh WLS KML file PDF

Write a description for your map.

**Legend**

-  Nahargarh Sanctuary
-  Untitled Path
-  Untitled Path





सतोस अधिका  
सहायक वन अधिकारी जयपुर

(83)

सुपु डाप डापा  
(निदेश प्राप्त किए गए)

1. Perch No. 2 में वर्णित वन भूमि (जिसका संपूर्ण लम्बाई 1100 वर्ग मी. है) जो वनखण्ड बडी लॉक आगे से 54 डी वन भूमि है, इस भूमि पर सड़क निर्माण व Plotting नहीं किया जाये। इस वन भूमि को सड़क Plotting तथा सड़क का Layout किया जाये।

2. इस भूमि पर दो पक्के नाले निर्माणधीन है जिसके भौद्योगिकी अपशिष्ट वन भूमि पर निस्तारित किया जावेगा। वन भूमि पर भौद्योगिकी अपशिष्ट निस्तारित करना निषेध किया है अतः इस बाबत वैधानिक व्यवस्था की जाये या उच्च क्षमता का Treatment plant लगाया जाकर केवल उपचारित एवं शुद्ध पानी ही अभ्यारण/वन जीमा में निस्तारित किया जाये।

मौडा पंचनामा मौडा पर ही बनाया जाये अथवा हाजिरों को पटा हुआ उर हस्तांतरित कराये जाये।

सुपु डाप  
सहायक वन अधिकारी  
जयपुर  
Dr. Dimple  
Rico


सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित  
जयपुर



ber 160 to 186 it will be 50 meters to 2 kilometers including Bahav sagar, Akhepura, Badagaov  
iya, Bishangarh Areas.

ANNEXURE-IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH  
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



पुस्तक क्रमांक

34

(1) जारी दिनांक 22-01-2022

(2) घोषणा का नाम/ शक्ति एवं निवासी का नाम पोखन सिंघ  
उज्ज्वल निवासी - निवासी को - रूपवास  
जिला - परतपुर (राज.) (पु.स. प्र.स.)

(3) घोषणा का विवरण नहारगढ़ अभयारण्य में ए.डी.  
इन्टरमीडियेट लेन का गंदे अपशिष्ट काली

(4) घोषणा का प्रकार जमीन का निर्माण  
रोड नं. 91/K2

(5) दिनांक घोषणा की गई 22-1-2022

विवरण वेदांगर बंगला को सड़की बंद के जो कार्यवाही  
की निष्पत्ति स्तः

विषय पुस्तक में वका

नाम श्री राजाराम जीवा

श्री श्रीवत्स कुमार

गौ.स.प.प.  
हस्ताक्षर दिनांक कनिष्ठा

रा. मु. 3.

नंत 1

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं. 1 (कप्रत)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन \_\_\_\_\_

(नाके पर रहने की)

बुक नं.

पेज नं.

सदर नं.

32

सं.

नाका नं.

ता.

- मियाद से तक

नाम नाका ~~माप्रवापडा~~ नाम रेन्ज ~~जासागल अक्षय~~

नाम जंगल जहाँ से पेदावार लाई जावे ~~गोड गायड~~

पेदावार कहाँ जावेगी ~~रूपगाना~~

मियाद \_\_\_\_\_

नाम खरीददार ~~चौबलखिंटा जंगली मिनामी~~

सकूनत मय पता ~~नगरे इलाहाबाद~~

मार्फत ~~(MS. लाल जंगल जैती)~~

किस्म पेदावार 2160/64

तादाद \_\_\_\_\_ शहर \_\_\_\_\_

तादाद महसूल DD No - 041699 / 25-1-2022

रकम 2,00,000/- अंको में दो लाख मात्र

साबिक 3000/- हाल 200000 मीजान 200000

ह. इजराय कुनिन्दा \_\_\_\_\_

ह. व्यापारी Sharma

बुक्ना का अधिकार के तहत कर्षा प्रति प्र...





## Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : [member-secretary@rpcb.nic.in](mailto:member-secretary@rpcb.nic.in)

Helpline No. : 0141-2716877



### Registered

F:14/Tech/Gen (184)/RSPCB/HBC/ 773

Date: 25-8-2023

Managing Director,  
RIICO Ltd., Udyog Bhawan,  
Tilak Marg, Jaipur.

E-mail- [md@riico.co.in](mailto:md@riico.co.in)

Sub: Regarding complaint received against the various RIICO industrial areas which are established/operational without obtaining required consent under provisions of Air Act, 1981 & Water Act, 1974.

Ref: Complaint received from Shri Tahir Hussain, Bikaner vide dated 19.07.2023.

Sir,

With reference to above, it is to inform you that a complaint has been received from Shri Tahir Hussain, Bikaner vide dated 19.07.2023 stating that various RIICO industrial areas (list enclosed) are being established/operational without obtaining prior consent under provisions of Air Act, 1981 & Water Act, 1974 and has not installed adequate pollution control measures i.e. STP/CETP etc.

In view of above, you are requested to kindly look into the matter and direct the concerned officials to apply & obtain CTE/CTO as applicable under provisions of Air Act, 1981 & Water Act, 1974 for all the RIICO industrial areas.

Copy of the complaint is enclosed for your reference.

Encl. - As above

Yours sincerely,

(Vijai N.)

Member Secretary *ole*